2017/00291

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास अनिल गुप्ता, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या **12/17** राजस्व अपील

श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री करणीराम जाति कुम्हार साकिन छोटी ढाणी कानासर हाल विनोबा बस्ती, पुरानी गजनेर रोड, बीकानेर

–अपीलान्ट

: ब ना म :

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपनिवेशन तहसीलदार इगानप कोलायत नं.1
2. हीरालाल पुत्र श्री मघाराम जाति कुम्हार साकिन छोटी ढाणी कानासर हाल कुम्हारों का मौहल्ला, दाऊजी मंदिर के पास, बीकानेर

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट,1956

उपस्थितिः–

1. अपीलान्टा के अधिवक्ता श्री सत्यपाल साहू उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता श्री सत्यनारायण तिवाडी उपस्थित।

: निर्णय :

दिनांक 09.4.2018

1. अपीलान्टा द्वारा यह अपील बनाराजगी उपनिवेशन तहसीलदार, बीकानेर दिनांक 02.12.78 जिसकी रूह से कृषि भूमि वाके रोही कानासर के ख.नं. 409 तादादी 20.5 बीधा एवं ख.नं. 412 तादादी 20.17 बीधा कुल तादादी 41.02 बीधा का विरास्तन इंतकाल गैरकानूनी तरीके से दर्ज करते हुए अपीलान्टा का नाम दर्ज नहीं कर नामान्तरण संख्या 289 तस्दीक किया गया के विरूद्ध उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो सबजेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण यह अपील इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होकर सुनवाई हेतु प्राप्त हुई।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर, बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि वंश वक्षावली के अनुसार अपीलान्टा के पिता स्वर्गीय श्री मघाराम के सुवादेवी बेवा फोत, अपीलान्टा इन्द्रा देवी पुत्री व हीरालाल पुत्र मौजद है। विवादित भूमि रोही कानासर तादादी 41.02 बीधा अपीलान्टा के पिता की भूमि होने से उक्त भूमि में 1/2 हिस्से की हकदार है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार अपीलान्टा मृतक मघाराम की पुत्री है, जिसका कानूनन विवादित भूमि में हक व हिस्सा है। अदालत मातहत ने बिना माईण्ड अप्लाई किये,बिना जायज वारिशान की जांच किये व बिना जायज वारिशान के प्रमाण–पत्र प्राप्त किये मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है, जो खिलाफ कानून शून्य तथा वाईड होने से काबिले इखराजी है। अपीलान्टा को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.09.2007 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से खाता बटवारा करवाने बाबत कहने पर, बटवारे से मना करने पर हुई। जानकारी मिलने पर अपीलान्टा ने दिनांक 25.9.2007 को जरिये वकील नकल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 29.9.07 को नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह मशवीरा कर दिनांक 01.10.07 को अपील प्रस्तुत की गई। मियाद माफी के संबंध में धारा 5 का प्रार्थना–पत्र व उसके समर्थन में शपथ–पत्र पेश किया गया है। जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है। शून्य तथा वाईड आदेश पर मियाद लागू नहीं होती। कथनों के समर्थन में विद्वान वकील अपीलान्टा द्वारा 1994

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2017/00291

आर.आर.डी. पृष्ठ 606, आर.आर.टी. 2002 पृष्ठ 257, आर.बी.जे.2002 पृष्ठ 580, 108 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। अपीलान्ट के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि माननीय न्यायालय को मियाद कण्डोन करते हुए मैरिट पर गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए। इसके समर्थन में आर. आर.टी,2002(1) पृष्ठ 648, आर.आर.टी.2009 पृष्ठ 469, आर.आर.डी.1990 पृष्ठ 479, आर.आर.डी. 1998 पृष्ठ 319 एच.सी. व ए.आई.आर.1987 पृष्ठ 1353 एस.सी. के उद्धरण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मियाद कण्डोन करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे व अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.78 जिसकी रूह से दर्ज नामान्तरण संख्या 289 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टा का नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करते हुए नामान्तरण दर्ज करने के आदेश प्रदान कर अपील स्वीकार की जावे।

4. इसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलान्टा ने उपनिवेशन तहसीलदार, बीकानेर के आदेश दिनाक 02.12.78 की अपील दिनांक 01.10.2007 को 29 वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है। माननीय न्यायालय को स्वःमेव ही मियाद बिन्दु पर अपील खारिज करदेनी चाहिए थी। अपने कथनों के समर्थन में आर. आर.डी. 1964 पेज 338, आर.एल.डब्ल्यू.(आर.जे.)(2),2006 पेज 873 डी.बी.(आर.बी.) नजीर पेश की। अपीलान्टा ने अपने प्रार्थना–पत्र में सर्वप्रथम जानकारी 24.9.2007 को होना बताया है, जो मिथ्या कथन है। अपीलान्टा रेस्पोडेन्ट हीरालाल की सगी बहन है। उसे प्रारम्भ से आदेश जैर इंतकाल की जानकारी थी। झूठी कहानी के आधार पर मियाद कण्डोन नहीं की जा सकती। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी.1955 पेज 252, डी.एन.जे.1999 पेज 56, आर.आर.डी.1980 एन.यू.सी. पेज 20, आर.आर.टी. 2004 (2) पेज 1219, आर.आर.टी.2004(1) पेज 576, आर.आर.टी.2014(1) पेज 154, आर.आर.टी.2011(1) पेज 614, आर.आर.टी.2007(2) पेज 939 आर.बी.जे.(7) 2000 पेज 470, आर.बी.जे.2000 पेज 71(72) ए.आई.आर.1998 एस.सी.पेज 2276, आर.आर.टी.2006 (2) पेज 1171, आर.आर.डी.1995 पेज 456, आर.बी.जे.2005 पेज 132 की नजीरे पेश की। मियाद बाहर अपील को मियाद पर ही खारिज की जानी चाहिए, मियाद को केवल इस आधार पर कण्डोन नहीं करना चाहिए कि उसे मैरिट पर निर्णित किया जासके। अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे.2000 पेज 71(72) तथा अस्पष्ट व वेग प्रार्थना–पत्र का फायदा अपीलान्ट को नहीं दिया जा सकता के समर्थन में आर.आर.डी. 1991 पेज 164, इंलिगल आदेश पर मियाद अधिनियम का लाभ नहीं दिया जासकता के समर्थन में आर.आर.डी.1991 पेज 164, आर.आर.डी.1989 पेज 500 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट मियाद बाहर मानी जा कर मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने के आदेश करने का निवेदन किया।

5. हमने उभयपक्षकारान की बहस मनन किया एव उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालयों के पारित उद्धरणों का सम्मान पूर्वक अध्ययन किया। अपीलान्टा द्वारा यह अपील लगभग 29 वर्ष पश्चात् पेश की गई है। ऐसी स्थिति में यह मानना न्याय संगत नहीं होगा कि अपीलान्टा को इस बात का ज्ञान नहीं हुआ हो कि रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि अपने नाम से दर्ज करवाली। यह सही है कि परिसीमा अधिनियम के सिद्धान्त उदार तरीके से काम में लिये जाने चाहिए। परन्तु इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई पक्षकार अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो और दूसरे व्यक्ति के हक में पैदा हुए अधिकारों को हनन करने का मौका सिर्फ इस आधार पर दिया जावे कि उसे ज्ञान नहीं था। अपीलान्टा द्वारा अपील पेश करने में 29 वर्ष का असाधारण विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। सहानूभूति के आधार पर न्यायालय विलम्ब उपशमन (Condone) नहीं कर सकता। बिना उचित कारण के 29 वर्ष के अप्रत्यक्षित विलम्ब को कण्डोन करना हमारी राय में कतैई उचित नहीं है। मेरी राय में अपील पेश करने में जो देरी हुई है उसको माफ करने की कोई माकूल वजह नहीं है। अतः अपील मियाद बाहर मानी जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील मियाद बाहर पेश होने के कारण अस्वीकार (खारिज) की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/4/18

(अनिल गुप्ता)
जिला कलक्टर, बीकानेर

जिला कलक्टर, बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official